न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 59/2016 **दायर दिनांक :—07.04.2016**

उनवान

1. कृष्णमुरारी दिलावर आयु 48 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति खटीक निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 14.05.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी खाता राज दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्व धारा 91 एल0आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा वादी लगातार काबिज चला आ रहा है एवं तावान राशि जमा राज करवाता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी का पिछले 30 वर्षों से लगातार बैरोक टोक कब्जा चला आने से ''बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ'' वादी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम खाता दर्ज करा पाने का अधिकारी हो गया

है लेकिन प्रतिवादी जबरन दादागिरी के बल पर वादी को उसके कब्जे की वाद पत्र की मद नं0 1 वर्णित आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है तथा सजा एवं जुर्माने से दण्डित करने पर आमादा है। इस आशय की प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है यदि प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल कर दिया तो वादी को अपने कब्जे की आराजी पर से वंचित होना पडेगा एवं जुर्माना एवं सजा से दण्डित होना पडेगा जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति वाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज चले आने से ''बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ'' खातेदार कृषक बन चुका है एवं प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से जबरन वादी को बेदखल नही करे तथा किसी प्रकार से सजा एवं जुर्माना से वादी को दण्डित नही करे, इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी घोषणा का होने से तहसीलदार अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी वादी को विवादग्रस्त आराजी पर से जबरन बेदखल कर देगा जिससे वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। अस्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कियाग गया है। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी द्वारा वादी को धारा 91 एल0आर एक्ट के तहत कार्यवाही करके निरन्तर नोटिस देकर जुर्माना से दण्डित करने पर तथा दिनांक 05.04.2016 को आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने एवं सजा से दण्डित करने पर आमादा होने से अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के खाते दर्ज की जावें। इस हेतु प्रतिवादी को आदेश प्रदान किया जावें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से वादी को बेदखल नही करे तथा किसी प्रकार का जुर्माना एवं सजा से दण्डित नही करें एवं वादी को आराजी का उपयोग उपभोग अपनी इच्छानुसार करने देवें।

(स) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावें।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मौका फोटो, नकल नोटिस प्रति दिनांक 10.07.2015, नकल नोटिस प्रति दिनांक 17.06.2015, नकल नोटिस प्रति दिनांक 04.06. 2015, नकल नोटिस प्रति दिनांक 15.08.2015, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीगंज खाता संख्या 1 सम्वत 2070—2073, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खेडलीगंज आदि पेश किऐ गऐ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दू सं. 1— ख.नं. 319 का रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 मुताबिक जमाबन्दी 2070—73 किस्म गे०म० नाला दर्ज रेकार्ड है। बिन्दू सं. 2 — अस्वीकार है सिवायचक भूमि पर अवैध अतिकमी है। बिन्दू सं. 3— अस्वीकार है चूकि आराजी आर.टी. एक्ट की धारा 16 में वर्णित भूमि है, जो प्रतिबंधित है जिस पर कभी भी खातेदारी/नियमन नहीं की जा सकती है अतः प्रार्थी अवैध अतिकमी है, तथा माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार के दिये गये आदेश के विरुद्ध है बिन्दू सं. 4 अस्वीकार है क्योकि आराजी आर.टी. एक्ट की धारा 16 में वर्णित भूमि है जो आंवटन/ खातेदारी नियमन में प्रतिबंधित भूमि है भूमि गे.मू.नाला है जो सर्वाजनिक उपयोग के लिए है ऐसी भूमि पर कब्जा बनाये रखना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के विरुद्ध होगा तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अतः वाद खारिज

योग्य है। बिन्दू सं. 5 – कानूनी है। बिन्दू सं. 6 – वादी अवैध अतिक्रमी है अतः वाद खारिज योग्य है। बिन्दू सं. 7 – न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दू सं. 8 व 9 – न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दु सं. 10 – वाद मनगढन्त एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है अतः खारिज योग्य है।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गईः–

तनकी सं0 – 01. आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम व माल खेडलीगंज के खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 पर वादी स्वयं को खातेदार कृषक घौषित करवाने का अधिकारी है।

(वादी)

तनकी सं0 – 02. आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम व माल खेडलीगंज के खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0. 11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है तथा यह प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है।

(प्रतिवादी)

विद्वान अभिभाषक व पेरोकार सरकार की बहस सूनी गई। दौराने बहस अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम एवं माल खेडलीगंज की खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी पर वादी का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्व धारा 91 एल0आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा वादी लगातार काबिज चला आ रहा है उक्त आराजी पर वादी का पिछले 30 वर्षों से लगातार बैरोक टोक कब्जा चला आने से ''बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ'' वादी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पेरोकार सरकार ने उक्त बहस का पुरजौर विरोध करते हुए कथन किया गया कि उक्त आराजी आर.टी. एक्ट की धारा 16 में वर्णित भूमि है, जो प्रतिबंधित है जिस पर कभी भी खातेदारी नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी अवैध अतिकमी है, तथा माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार के दिये गये आदेश के विरुद्ध है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि है भूमि

गे.मू.नाला है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है ऐसी भूमि पर कब्जा बनाये रखना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के विरुद्ध होगा तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाऍं।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा, अभिभाषकगण की बहस के अनुसार प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता हैः–

तनकी नं0 1:– वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम खेडलीगंज पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार आराजी खाता संख्या 1 का ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी गै0मु0 नाला के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी में भू धारक के रूप में कॉलम 3 में राजस्थान सरकार तथा कॉलम 4 में काश्तकार के रूप में नदिया नाले (चारागाह हेतु) दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार नदी या तालाब की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होंगे।

उक्त वर्णन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 1 का निर्णय विरूद्व वादी व प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 2:– जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार आराजी ग्राम व माल खेडलीगंज पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 1 का ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी

गै0मु0 नाला के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 में नाले, नदियां, सहायक नदियां आदि भूमियों को राजकीय भूमि माना गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह, नदी व तालाब की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होंगे।

अतः तनकी नं0 2 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में तथा विरूद्व वादी किया जाता है।

पुनः पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों, बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं तनकीवार निर्णय पर मनन, विवेचन व विश्लेषण करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस आधार पर वादी के वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष –(अ), (ब), (स) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी के संबंध में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 59/2016 **दायर दिनांक :–07.04.2016**

उनवान

1. कृष्णमुरारी दिलावर आयु 48 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति खटीक निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 1 की ख0नं0 319 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 नाली व ख0नं0 320 का रकबा 0.11 है0 गै0मु0 नाला कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 आराजी के संबंध में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)